निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

6 आषाढ़ 1938 (श0)

(सं0 पटना 520) पटना, सोमवार, 27 जून 2016

सं० 5 / आ02—1015 / 2013—442

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

संकल्प

6 जून 2016

श्री प्रणवेश सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेगुसराय (सम्प्रति निलंबित) मुख्यालय:-क्षेत्रीय मुख्य अभियंता का कार्यालय, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रक्षेत्र, भागलपुर के विरूद्ध आय से अधिक अप्रत्यानुपातिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम 1988 की धारा-13(2) सह पठित धारा-13(1)(e) के तहत आर्थिक अपराध इकाई थाना काण्ड संख्या-39/2013 दर्ज किये जाने का मामला सरकार के संज्ञान में आया।

2. मामले के संज्ञान में आने के उपरान्त विभागीय आदेश सं0-5/आ02-1017/2013-455, दिनांक 25.09.2013 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-9(1)(ग) के तहत श्री सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।

3. आय के ज्ञात श्रोतों से अधिक अप्रत्यानुपातिक धनार्जन के प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपो के मद्देनजर यह पाया गया कि आरोपित पदाधिकारी का यह आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली-1976 के नियम 19(2),19(3) एवं 19(6) का स्पष्ट उल्लंघन है तथा सरकारी सेवक के प्रतिकूल आचरण है। मामले की सरकार द्वारा समीक्षा की गई एवं समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं0 5/आ02-1017/2013-559 दिनांक 06.12.2013 द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित की गई।

4. श्री सिंह के विरूद्ध संस्थित विभागीय कार्यवाही में विभागीय कार्यवाही के जांच संचालन पदाधिकारी, अपर विभागीय जांच आयुक्त श्री डॉ0 सुभाष शर्मा, भा0प्र0से0 के पत्रांक-132/एम0सी0 दिनांक 10.06.2015 द्वारा जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। जांच प्रतिवेदन में आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध लगाये गये सभी आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया तथा निष्कर्ष के रूप में कहा गया कि ''आरोपित ने अपनी आय से काफी अधिक सम्पत्ति अवैध तरीके से अर्जित की और उनकी घोषणा नहीं की, जो बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के विभिन्न नियमों का उल्लंघन है। अत: आरोप संख्या-1, 2 एवं 3 आपके विरूद्ध प्रमाणित होते हैं।''

5. प्रमाणित आरोपों के मद्देनजर विभागीय पत्रांक-5/आ02-1017/2013-509 दिनांक 01.09.2015 द्वारा जांच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए आरोपी पदाधिकारी से 15 दिनों के भीतर लिखित अभ्यावेदन (द्वितीय कारण पृच्छा) समर्पित करने का अनुरोध किया गया। द्वितीय कारण पृच्छा के आलोक में आरोपी पदाधिकारी के पत्रांक-शून्य, दिनांक 19.09.2015 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा में व्यक्तिशः सुनने एवं द्वितीय स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु आरोप की मदों को सिद्ध करने संबंधी दस्तावेजों और साक्ष्यों की प्रति आदि कागजात उपलब्ध कराये जाने के संबंध में अनुरोध किया गया। प्राप्त अभ्यावेदन की समीक्षा की गई एवं पाया गया कि ऐसे सभी कागजात एवं साक्ष्य पूर्व में ही आरोप पत्र के साथ संलग्न किया गया था तथा ऐसे साक्ष्यों एवं दस्तावेजों का प्रतिवाद विभागीय कार्यवाही के संचालन के दौरान आरोपी पदाधिकारी द्वारा किया जा सकता था, विभागीय कार्रवाई के संचालन में जांच संचालन पदाधिकारी द्वारा पुरी सुनवाई एवं छानबीन के पश्चात ही निष्कर्षित करते हुए आरोपों को प्रमाणित पाया गया। अत: अब ऐसे कागजातों एवं साक्ष्यों की मांग विभागीय कार्यवाही में लिये जाने वाले निर्णय को टालने की नियत से ही किया जा रहा है। अत: आरोपी पदाधिकारी के अनुरोध को अस्वीकार्य पाया गया।

6. वर्णित परिपेक्ष्य में पूरे मामले के समीक्षोपरांत प्रमाणित आरोप के आलोक में श्री सिंह के विरूद्ध निम्नांकित शास्ति अधिरोपित करने का प्रस्ताव गठित किया गया:-

(i) सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी, जिसके फलस्वरूप उन्हें पेंशन एवं उपादान आदि देय नहीं होगा।

निलंबन अवधि में श्री सिंह को भुगतान किये गये जीवन-निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त अवशेष राशि देय नहीं होगा।

7. उपरोक्त विभागीय प्रस्ताव को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदित किया गया।

8. तदोपरान्त विभागीय पत्रांक-5/आ02-1017/2013-21 दिनांक 05.01.2016 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग पटना से श्री सिंह के विरूद्ध प्रस्तावित वृहत शास्ति पर परामर्श की मांग की गई। बिहार लोक सेवा आयोग पटना के पत्रांक-5/प्रो0-3-04/2016-366 लो0से0आ0 दिनांक 06.05.2016 द्वारा आयोग ने आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध गठित विभागीय दण्ड प्रस्ताव से सहमति व्यक्त की।

9. प्रमाणित आरोपों के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, जांच पदाधिकारी के जांच प्रतिवेदन एवं बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से प्राप्त परामर्श की समीक्षोपरान्त बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 14 (x) यथासंशोधित नियम 14 (xi)

(अधिसूचना संख्या-3/एम0-166/2006 का0-2797 दिनांक 20.08.2007) के तहत ''सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी।'' जिसके फलस्वरूप उन्हें पेंशन एवं उपादान आदि देय नहीं होगा, शास्ति अधिरोपित करने एवं निलंबन अवधि में श्री सिंह को भुगतान किये गये जीवन-निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त अवशेष राशि देय नहीं होने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया।

10. उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री प्रणवेश सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेगुसराय (सम्प्रति निलंबित) मुख्यालयः-क्षेत्रीय मुख्य अभियंता का कार्यालय, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रक्षेत्र, भागलपुर को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 14 (x) यथासंशोधित नियम 14 (xi) (अधिसूचना संख्या-3/एम0-166/2006 का0-2797 दिनांक 20.08.2007) के तहत निम्नांकित शास्ति अधिरोपित कर संसूचित की जाती हैः-

(i) सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी।

जिसके फलस्वरूप उन्हें पेंशन एवं उपादान आदि देय नहीं होगा।

श्री सिंह को भुगतान किये गये जीवन-निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त अवशेष राशि देय नहीं होगा।

11. उपरोक्त कंडिका 10 में निहित शास्ति पर मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजेन्द्र प्रसाद सिंह,
संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 520-571+50-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in